

परिशिष्ट

परिशिष्ट - I
भाग - क. सरकारी लेखे
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1)

I. संरचना:

राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा।

भाग I. समेकित निधि

राजस्व, ऋण एवं ऋणों की वसूलियों से सरकार की सभी प्राप्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत गठित किये गये राज्य की संचित निधि में जाती हैं। सरकार के सभी व्यय इस निधि से पूरा किये जाते हैं तथा राज्य विधानमण्डल की स्वीकृति के बिना किसी भी राशि की निकासी इस निधि से नहीं की जा सकती है। इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं - यथा- राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) तथा पूँजीगत लेखा (पूँजीगत प्राप्तियाँ, व्यय, लोक ऋण तथा कर्ज एवं पेशगियाँ इत्यादि)।

भाग II. आकस्मिकता निधि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत गठित आकस्मिकता निधि, राज्य विधान मण्डल से स्वीकृति के लिए लंबित अत्यावश्यक अदूरदर्शित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य के राज्यपाल के विवेकाधीन रखे गये अग्रदाय के रूप में होता है। ऐसे व्यय तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि का आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण के लिए राज्य विधान मण्डल में परावर्ती अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। इस निधि का समूह 150 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया।

भाग III. लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, जमा, आरक्षित निधि, उचंत तथा प्रेषण इत्यादि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो कि समेकित निधि का अंश नहीं होता है को लोक लेखा में लेखापित किया जाता है तथा विधानमण्डल द्वारा पारित होना आवश्यक नहीं है।

II. वार्षिक लेखे का प्रारूप

राज्य सरकार के लेखे दो खण्डों यथा वित्त लेखा एवं विनियोग लेखा में तैयार किया जाता है। सरकारी लेखे में उचित वर्गीकरण के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं व्यय दोनों से संबंधित सभी लेन-देन का ब्यौरा वित्त लेखा प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखा, सरकार द्वारा खर्च की गयी राशि के साथ-साथ बजट अनुदान में राज्य विधान मण्डल द्वारा अधिकृत राशि का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय का विधान मण्डल द्वारा नियमित करना आवश्यक है।

परिशिष्ट - II

राज्य योजना कार्यक्रमों, केन्द्रीय योजना कार्यक्रमों एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अधिक बचतों की विवरणी
(संदर्भ: कंडिका 1.8.3)

I. बचत की समग्र स्थिति

योजनायें	पूरक सहित कुल प्रावधान	व्यय (लाख रुपये में)	बचत
राज्य योजना	316766.96	204447.63	112319.33
केन्द्रीय योजना	341.98		341.98
केन्द्रीय प्रायोजित	39057.92	16695.06	22362.92
कुल	356166.92	221142.69	135024.23

II. अधिक बचतों से प्रभावित योजनायें (1.00 करोड़ रुपये एवं अधिक)

क्रमांक	योजना का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (करोड़ रुपये में)
	<u>राज्य योजनागत कार्यक्रम</u>			
1.	<u>अनुदान सं. 1</u> <u>कृषि विभाग</u> 4401- फसल पालन पर पूँजीगत परिव्यय 800- अन्य क्षेत्र उप योजना 0109- विभागीय भवन निर्माण कार्यक्रम	2.00	-	2.00
	कुल	2.00	-	2.00
2.	<u>अनुदान सं. 2</u> <u>पशुपालन एवं मत्स्य विभाग</u> 2403- पशुपालन 796- जन जातीय क्षेत्र उप योजना 0203- निदेशालय एवं क्षेत्रीय प्रशासन	1.40	0.28	1.12
	कुल	1.40	0.28	1.12
3.	<u>अनुदान सं. 3</u> <u>भवन निर्माण एवं आवास विभाग</u> 4059- लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय 80- सामान्य 051- निर्माण 0602- जन जातीय क्षेत्र उप योजना	9.12	-	9.12
	कुल	9.12	-	9.12
4.	<u>अनुदान सं. 8</u> <u>असैनिक विमानन विभाग</u> 80- सामान्य 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 0200- जनजातीय क्षेत्र उप योजना लघु निर्माण कार्य	5.00	-	5.00
	कुल	5.00	-	5.00

5.	अनुदान सं. 9 सहकारिता विभाग 6425- सहकारिता हेतु ऋण 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 0614- शुद्धीकरण, शीत घर, गोदाम निर्माण परियोजना द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को ऋण	1.50	-	1.50
	कुल	1.50	-	1.50
6.	अनुदान सं. 10 ऊर्जा विभाग 4801 - ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01 - हाइडल उत्पादन 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0001- हरिजन मुहल्ला में विद्युतीकरण	27.00	20.00	7.00
7.	800- अन्य व्यय 0001- ग्रामीण विद्युतीकरण	13.00	10.00	3.00
8.	6801 - विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण 201- हाइडल उत्पादन 0001- झारखण्ड राज्य हाइडल निगम को ऋण	5.00	-	5.00
	कुल	45.00	30.00	15.00
9.	अनुदान सं. 17 वित्त (वाणिज्यकर) 2040- बिक्री कर 101- संग्रहण प्रभार 0101- एफ- दो चेक पोस्ट जिला प्रभार	5.00	-	5.00
	कुल	5.00	-	5.00
10.	अनुदान सं. 18 खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग 3456- असेनिक आपूर्ति 800- अन्य व्यय 0101- जिला प्रभास-लोक वितरण प्रणाली-अन्य क्षेत्रों में गोदाम और चलंत दुकानें	7.10	3.79	3.31
	कुल	7.10	3.79	3.31
11.	अनुदान सं. 20 स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और कल्याण विभाग 2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 01 - नागरीय स्वास्थ्य सेवार्य- एलोपैथी 0201- योजना का प्रशासन (कुष्ठ)	2.29	0.16	2.13
12.	01 - शहरी स्वास्थ्य सेवार्य- एलोपैथी 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0201- राँची चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	15.16	-	15.16
13.	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्य- एलोपैथी 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0201- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	9.22	7.49	1.73
14.	06- लोक स्वास्थ्य 796- जन जातीय क्षेत्र उप योजना 0201- औषधि नियंत्रण स्थापना	1.00	-	1.00
15.	796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 0206- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	10.82	8.47	2.35

16.	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110- अस्पताल एवं डिस्पेंसरी 0202- भवन-सदर एवं उप प्रमण्डलीय अस्पताल	1.50	0.11	1.39
17.	02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 0206- प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना- अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2.68	-	2.68
	कुल	42.51	16.23	26.28
18.	अनुदान संख्या. 21 उच्चतर शिक्षा विभाग 2202- सामान्य शिक्षा 03- विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा 102- विश्वविद्यालयों को सहायता 0004- नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, डालटेनगंज की स्थापना (सहायता अनुदान)	15.00	-	15.00
	कुल	15.00	-	15.00
19.	अनुदान सं. 23 उद्योग विभाग 2851- ग्राम एवं लघु उद्योग 102- लघु इकाई उद्योग 0104- जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना	3.61	1.15	2.46
20.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0202- झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग परिषद को सहायता (सहायता अनुदान)	1.00	-	1.00
21.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0204- हस्तशिल्प का विकास	1.52	0.02	1.50
22.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0206- रेशम उत्पादन का विकास	4.27	2.46	1.81
23.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0214- परिरूप विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, राँची।	1.00		1.00
24.	2852- उद्योग 80- सामान्य 102- औद्योगिक उत्पादकता 0107 - निर्यात प्रोत्साहन- औद्योगिक पार्क की स्थापना- सहायता-अनुदान	1.00	-	1.00
25.	102- औद्योगिक उत्पादकता 0119- गैर-औद्योगिक जिलों में केन्द्र विकास के लिए भू-अर्जन एवं इनफ्रास्ट्रक्चर के विकास की स्थापना	14.74	3.40	11.34
26.	102- औद्योगिक उत्पादकता 0120- गैर औद्योगिक जिलों में विकास केन्द्र की स्थापना सहायता अनुदान	2.00	-	2.00
27.	102- औद्योगिक उत्पादकता 0127- दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के पवेलियन का निर्माण	2.15	0.62	1.53
28.	80- सामान्य 102- औद्योगिक उत्पादकता 0149- कम्प्यूटर विकास हेतु सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना	6.00	-	6.00
29.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0218- औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण	31.00	18.46	12.54
	कुल	68.29	26.11	42.18

30.	अनुदान संख्या. 36 लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग 4215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय 01- जल आपूर्ति 102- ग्रामीण जलापूर्ति 0101- ग्रामीण नल जलापूर्ति - सामान्य	8.00	4.57	3.43
31.	102- ग्रामीण जलापूर्ति 0101-(ख) ग्रामीण नल जलापूर्ति योजना-विशेष संघटित योजना	4.00	2.19	1.81
32.	102- ग्रामीण जलापूर्ति 0103 -(ग) ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति/20000 जनसंख्या तक उप-शहरी-सामान्य	5.00	2.60	2.40
33.	102- ग्रामीण जलापूर्ति 0103 - ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल, कुएँ का निर्माण) - सामान्य	45	14.34	30.66
34.	102- ग्रामीण जलापूर्ति 0103-क-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल, कुएँ का निर्माण) विशेष संघटित योजना	23.00	7.71	15.29
	कुल	85.00	31.41	53.59
35.	अनुदान संख्या. 40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 2029- भू-राजस्व 102- सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्यक्रम 0101- सर्वेक्षणों एवं बंदोबस्ती कार्यक्रम का पुनरीक्षण	5.97	3.84	2.13
36.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0201- सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्यक्रम का पुनरीक्षण	9.73	8.63	1.10
37.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0203- राजस्व प्रशासन पर व्यय-अंचल अधिकारी के लिए नये वाहनों का क्रय	1.80	-	1.80
	कुल	17.50	12.47	5.03
38.	अनुदान सं. 41 पथ निर्माण विभाग 3054 - पथ एवं पुल 80- सामान्य 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0200- जनजातीय क्षेत्र उप योजना	2.70	1.25	1.45
39.	5054- पथ एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय 03- राज्य उच्चपथ 052- मशीन और उपकरण 0101- मशीन एवं उपकरण	6.00	-	6.00
40.	03- राज्य उच्चपथ 337- पथ निर्माण 0101- मुख्य पथ	66.00	26.90	39.10
41.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0201- मुख्य पथ	47.00	22.62	24.38
42.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0202- मशीन एवं उपकरण	9.00	0.51	8.49
43.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0203- पुल	34.80	33.66	1.14
	कुल	165.50	84.94	80.56
44.	अनुदान सं. 42			

	ग्रामीण विकास विभाग 2501- ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम 02- सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम 101- लघु सिंचाई 0101- सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम- जल छाजन विकास कार्यक्रम	10.00	2.07	7.93
45.	02- सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0202- स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्व रोजगार योजना-सामान्य	13.50	2.07	11.43
46.	02- सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास योजना 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0205- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना - अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटित योजना	13.50	2.07	11.43
47.	02- सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0206- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना-सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम- जल छाजन विकास कार्यक्रम	15.00	1.61	13.39
48.	2505- ग्रामीण नियोजन 01- राष्ट्रीय कार्यक्रम 702- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 0106- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-सामान्य के लिए योजना	9.64	8.17	1.47
49.	01- राष्ट्रीय कार्यक्रम 702- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 0108- इन्दिरा आवास योजना-सामान्य के लिए योजना	4.89	2.82	2.07
50.	01- राष्ट्रीय कार्यक्रम 702- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 0109- अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटित योजना	2.38	1.35	1.03
51.	01- राष्ट्रीय कार्यक्रम 702- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 0110- मुख्यालय स्थापना (राँची)	1.34		1.34
52.	01- राष्ट्रीय कार्यक्रम 702- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 0111- एन आर ई पी क्षेत्रीय स्थापना	4.19	1.60	2.59
53.	01- राष्ट्रीय कार्यक्रम 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0202- एन आर ई पी क्षेत्रीय स्थापना	8.15	3.56	4.59
54.	01- राष्ट्रीय कार्यक्रम 796- जनजाति क्षेत्र उप योजना 0205- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-सामान्य हेतु योजना	22.01	18.66	3.35
55.	01- राष्ट्रीय कार्यक्रम 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0206- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटित	8.98	7.58	1.40
56.	01- राष्ट्रीय कार्यक्रम 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0207- इन्दिरा आवास योजना-सामान्य के लिए योजना	17.14	8.53	8.61
57.	01- राष्ट्रीय कार्यक्रम 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0208- इन्दिरा आवास योजना-अनुसूचित जाति			

	के लिए विशेष संघटित योजना	6.96	3.51	3.45
58.	01- राष्ट्रीय कार्यक्रम 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0211- सुरक्षित रोजगार योजना-सामान्य के लिए योजना	18.42	14.18	4.24
59.	2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 102- सामुदायिक विकास 0102- प्रखण्डों के लिए जीप का क्रय	1.80	0.68	1.12
60.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0208- उत्तर स्तर II-प्रखण्ड भवन लघु निर्माण	5.00	2.06	2.94
61.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0209- उत्तर स्तर II-प्रखण्डों के लिए जीपों का क्रय	4.20	-	4.20
62.	4515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत व्यय 103- ग्रामीण विकास 0101- निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम-स्थापना	2.76	1.06	1.70
63.	103- ग्रामीण विकास 0102- निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम - ग्रामीण पथ निर्माण	79.00	57.71	21.79
64.	103- ग्रामीण विकास 0103- निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम मशीन और उपकरण	1.00	-	1.00
65.	103- ग्रामीण विकास 0107- विधान परिषद के सदस्य की अनुशंसा पर योजनाओं का कार्यान्वयन	29.00	24.00	5.00
66.	103- ग्रामीण विकास 0108- मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता	7.69	5.58	2.11
67.	103- ग्रामीण विकास 0209- प्रधान मंत्री का ग्रामीण पथ योजना ग्रामीण सम्पर्क पथ का निर्माण	50.00	44.47	5.53
68.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0203- निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम-स्थापना	19.04	2.31	16.73
69.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0204- निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम-मशीन और उपकरण	2.00	-	2.00
70.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0206- निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम-ग्रामीण पथ का निर्माण	146.25	67.30	78.95
71.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0207- मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता-स्थापना	15.90	10.56	5.34
72.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0209- प्रधान मंत्री की ग्रामीण पथ योजना - ग्रामीण सम्पर्क पथ निर्माण	110.00	3.00	107.00
	कुल	629.74	296.51	333.23
73.	अनुदान सं. 43 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 2203- तकनीकी शिक्षा 001- निर्देशन एवं प्रशासन 0108 - सूचना प्रौद्योगिकी कम्प्यूटर नेटवर्किंग	21.31	5.48	15.83
74.	004- शोध 0101- झारखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	3.65	2.37	1.28

75.	004- शोध 0104- गैर सरकारी क्षेत्रों के अंतर्गत तकनीकी संस्थानों को सहायता	10.00	-	10.00
76.	4202- शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 02- तकनीकी शिक्षा 104- पॉलिटिकनीक 0102 - पॉलिटिकनीक/अभियांत्रिकी महाविद्यालय का निर्माण और पुनरुद्धार	10.00	1.79	8.21
	कुल	44.96	9.64	35.32
77.	अनुदान सं 44 माध्यमिक, प्राथमिक और लोक शिक्षा विभाग 2202- सामान्य शिक्षा 01 - प्रारम्भिक शिक्षा 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0202- सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय	13.18	8.08	5.10
78.	01 - प्रारम्भिक शिक्षा 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0203- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार उन्मुख योजना	31.90	4.74	27.16
79.	01 - प्रारम्भिक शिक्षा 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0205 - अनौपचारिक शिक्षा	4.23	1.40	2.83
80.	01 - प्रारम्भिक शिक्षा 800- अन्य व्यय 0102- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार उन्मुख योजना	18.06	0.95	17.11
81.	01 - प्रारम्भिक शिक्षा 800- अन्य व्यय 0106- अनौपचारिक शिक्षा	3.17	0.72	2.45
82.	01 - प्रारम्भिक शिक्षा 800- अन्य व्यय 0109- झारखण्ड शिक्षा परियोजना	2.65	1.25	1.40
83.	02- माध्यमिक शिक्षा 109- सरकारी माध्यमिक विद्यालय 0103- झारखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष संघटित योजना-विभागीय निर्माण-मुख्य निर्माण	12.21	6.90	5.31
84.	02- माध्यमिक शिक्षा 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0207- विभागीय निर्माण	13.60	7.80	5.80
	कुल	99.00	31.84	67.16
85.	अनुदान सं 48 शहरी विकास विभाग 2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01 - जलापूर्ति 191- स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि को सहायता 0001- क- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का राज्यांश	5.50		5.50
86.	02- मल निकासी एवं स्वच्छता 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0006- ख- शौचालय निर्माण हेतु स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	6.00	3.22	2.78

87.	4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परियोजना 01- जलापूर्ति 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0601- ग्यारहवाँ वित्त आयोग - राँची शहरी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन	14.00	-	14.00
88.	4216- आवास पर पूँजीगत परियोजना 01- सरकारी आवासीय भवन 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0200- जनजातीय क्षेत्र उप योजना/केन्द्र प्रायोजित योजना का राज्यांश सहित	11.33	2.63	8.70
89.	4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परियोजना 60- अन्य शहरी विकास परियोजनायें 800- अन्य व्यय 0104- समेकित शहरी विकास के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	1.00	-	1.00
90.	60- अन्य शहरी विकास योजनायें 800- अन्य व्यय 0105-क- सामुदायिक भवन/थियेटर के निर्माण हेतु अनुदान	5.00	3.69	1.31
91.	60- अन्य शहरी विकास योजनायें 800- अन्य व्यय 0105-ख-क्रय/सफाई मशीन का रख-रखाव	5.00	3.90	1.10
92.	60- अन्य शहरी विकास योजनायें 800- अन्य व्यय 0105-ग-राँची नगर का सौन्दर्यीकरण	10.00	8.95	1.05
93.	60- अन्य शहरी विकास योजनायें 800- अन्य व्यय 0105-घ-शहरी क्षेत्रों में नागरिक आयुध -बस अड्डा के निर्माण के लिए अनुदान	9.00	7.00	2.00
94.	60- अन्य शहरी विकास योजनायें 800- अन्य व्यय 0107- कसाई घर के निर्माण के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता	2.00	0.94	1.06
95.	6215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए ऋण 01 - जलापूर्ति 191- स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि को ऋण 0101- शहरी जलापूर्ति हेतु नगर निगम और नगरपालिकाओं को ऋण	18.37	15.50	2.87
96.	02- सफाई एवं स्वच्छता 191- नगरपालिकाओं, स्थानीय निकायों आदि को ऋण 0101-ख-सफाई/शौचालय की बदली के लिए शहरी स्थानीय निकायों को ऋण	6.00	3.21	2.79
97.	6217- शहरी विकास के लिए ऋण 60- अन्य शहरी विकास योजनायें 191-स्थानीय निकायों, निगम आदि को ऋण 0002- नगरपालिका बाजार निर्माण हेतु ऋण	5.00	0.25	4.75
98.	60- अन्य शहरी विकास योजनायें 191- स्थानीय निकायों, निगम आदि को ऋण 0601- बस अड्डा के लिए नगरपालिकाओं को ऋण	9.00	4.23	4.77

99.	60- अन्य शहरी विकास योजनायें 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0202- परिवहन हेतु शहरी स्थानीय निकायों को ऋण	14.00	12.65	1.35
	कुल	121.20	68.52	52.68
100.	अनुदान सं. 49 जल संसाधन विभाग 4701- वृहत् एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80- सामान्य 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0202- स्वर्णरेखा परियोजना-स्थापना	44.37	18.06	26.31
101.	80- सामान्य 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0203-मध्यम सिंचाई परियोजना-सामान्य	44.70	26.03	18.67
102.	80- सामान्य 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0203-क-मध्यम सिंचाई परियोजना-स्थापना	32.99	20.03	12.96
103.	80- सामान्य 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0204- मध्यम सिंचाई परियोजना (एन ए बी ए आर डी आर आई डी एफ) अजय वराज परियोजना निर्माण	28.69	18.20	10.49
104.	80- सामान्य 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0205- मध्यम सिंचाई परियोजना (ए आई बी पी) निर्माण	13.00	6.36	6.64
105.	80- सामान्य 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0206 - स्वर्णरेखा परियोजना (एन ए वी ए आर डी आर आई डी एफ) निर्माण	81.00	14.10	66.90
106.	80- सामान्य 800- अन्य व्यय 0110-क-छोटानागपुर और संधालपरगना सिंचाई परियोजना-निर्माण	26.50	24.39	2.11
	कुल	271.25	127.17	144.08
107.	अनुदान सं. 50 लघु सिंचाई विभाग 4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 101- भूतल जल 0101- लघु सिंचाई	39.63	27.69	11.94
108.	102- भूमि जल 0102- एन ए वी ए आर डी से नई/अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण	8.45	-	8.45
109.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 1417- नई/अपूर्ण लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण	7.04	5.23	1.81
110.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 1418- नयी/अपूर्ण मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण	4.93	-	4.93
	कुल	60.05	32.92	27.13

111.	अनुदान सं. 51 कल्याण विभाग 2225- अ.ज./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण 001- निर्देशन एवं प्रशासन 0100- निर्देशन एवं प्रशासन	1.30	-	1.30
112.	277- शिक्षा 0113- क- आवासीय विद्यालय का निर्माण और पुररुद्धार	2.88	1.80	1.08
113.	02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0002-क-भारत के संविधान की धारा 275 (i) के प्रावधान के अंतर्गत केन्द्र सरकार से विशेष सहायता	22.08	-	22.08
114.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0201-छ-तकनीकी प्रकोष्ठ का संगठन	1.00	-	1.00
115.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0216- 'क' --प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र की स्थापना - छात्रों के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य	4.00	-	4.00
116.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0216-ख- प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र की स्थापना-छात्राओं के लिए छात्रावास - मुख्य निर्माण कार्य	4.00	-	4.00
117.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0216-ङ -बी आई टी मेसरा	3.00	-	3.00
118.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0216-च-अनुसूचित जन जातियों के लिए झारखण्ड शोध संस्थान, राँची	2.00	-	2.00
119.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0216-ज-आश्रम विद्यालय को खोलना (बिरसा मुंडा विद्यालय, उलीहातु, राँची, सहित)	6.00	-	6.00
120.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0216-छ- आवासीय विद्यालय का निर्माण एवं पुनरुद्धार	4.00	2.00	2.00
121.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0609- छात्राओं के लिए छात्रावास - मुख्य निर्माण कार्य	4.00	-	4.00
122.	03- पिछड़े वर्गों का कल्याण 277- शिक्षा 0101- क- शिक्षा-उच्च विद्यालय छात्रवृत्तियाँ	1.32	-	1.32
123.	277- शिक्षा 0101-ख-शिक्षा- प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय छात्रवृत्तियाँ	2.59	-	2.59
124.	277- शिक्षा 0101-ज-पिछड़ा वर्ग विकास निगम पूँजी अंश की स्थापना	2.30	-	2.30
125.	277- शिक्षा 0106-आवासीय विद्यालय का निर्माण	3.45	0.47	2.98

126.	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02- सामाजिक कल्याण 101- विकलांगों का कल्याण 0107- मूक एवं बधिर विद्यालय-मरम्मत एवं रखरखाव	1.50	-	1.50
127.	106- शोधन सेवाएँ 0106- सुधारालय	5.00	1.48	3.52
128.	2236-पोषण 02- पोषण आहार एवं पेय का वितरण 796- जन जातीय क्षेत्र उप योजना 0202- परिवार एवं शिशु कल्याण हेतु पोषक आहार वितरण के लिए विशेष योजना	10.00	0.88	9.12
	कुल	80.42	6.63	73.79
	केन्द्र प्रायोजित योजना			
129.	अनुदान सं 1 कृषि विभाग 2401- फसल पालन 102- खाद्यान्न फसल 0601- खाद्यान्न के उत्पादन के लिए विशेष योजना	4.08	-	4.08
130.	103- बीज 0601- मक्का के लिए तकनीकी योजना	1.09	-	1.09
131.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना	1.02	-	1.02
	कुल	6.19	=	6.19
132.	अनुदान सं. 18 खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्यिक 3456- असैनिक आपूर्ति विभाग 800- अन्य व्यय 0201- अन्नपूर्णा योजना- 65 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त चना वितरण	3.85	0.93	2.92
	कुल	3.85	0.93	2.92
133.	अनुदान सं 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं कल्याण विभाग 2211- परिवार कल्याण 001- निर्देशन एवं प्रशासन 0603- तकनीकी सलाह एवं पर्यवेक्षण (जिला कल्याण ब्यूरो)	6.03	3.98	2.05
134.	101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें 0601- ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	29.85	18.82	11.03
135.	101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें 0602- स्वास्थ्य उप-केन्द्र	38.47	18.36	20.11
136.	105- क्षतिपूर्ति 0601- क्षतिपूर्ति	4.00	2.53	1.47
137.	200- अन्य सेवायें एवं आपूर्ति 0602- अन्य सेवायें एवं आपूर्ति- उप प्रमण्डलीय एवं रेफरल अस्पताल में प्रासूतिक कार्यक्रम	2.59	0.71	1.88
138.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0206- प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना - भवन- अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	4.83	-	4.83
	कुल	85.77	44.40	41.37

139.	अनुदान सं 36 लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग 4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय 01- जलापूर्ति 102- ग्रामीण जलापूर्ति 0602- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना	49.00	26.08	22.92
140.	02- मलनिकास एवं स्वच्छता 106- मलनिकास सेवार्यें 0602- ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कुल	1.00 50.00	- 26.08	1.00 23.92
141.	अनुदान सं 40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 2029- भूमि सुधार 103- भूमि अभिलेख 0401- भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटीकरण कुल	2.81 2.81	- -	2.81 2.81
142.	अनुदान सं 44 माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग 2202- सामान्य शिक्षा 01- प्रारम्भिक शिक्षा 800- अन्य व्यय 0108- अनौपचारिक शिक्षा- सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम- प्रधानमंत्री ग्राम उत्थान कार्यक्रम कुल	10.17 10.17	- -	10.17 10.17
143.	अनुदान सं. 48 शहरी विकास विभाग 4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय 01- सरकारी आवासीय भवन 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0602- सी.एस.एस. कुल	5.94 5.94	- -	5.94 5.94
144.	अनुदान सं. 49 जल संसाधन विभाग 4701- वृहत् एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80- सामान्य 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0204- मध्यम सिंचाई परियोजना (ए आई वी पी) कार्य कुल	26.00 26.00	12.72 12.72	13.28 13.28
145.	अनुदान सं 51 कल्याण विभाग 2225- अ.जा., अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण 02- अनुसूचित जनजाति का कल्याण 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0609- छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य कुल	4.00 4.00	- -	4.00 4.00
146.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0611- चिकित्सा इलाज एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों में पुस्तक बैंक की स्थापना	1.00	-	1.00

147.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0613- आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्रों को पुनर्संगठन एवं पुनरुद्धार	1.00	-	1.00
148.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0614- दस आश्रम विद्यालय का खोलना (बिरसा मुण्डा, उलीहातु सहित)	6.00	-	6.00
149.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0615- झारखण्ड जनजाति शोध संस्थान	2.00	-	2.00
150.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0616- आवासीय विद्यालय का पुनरुद्धार	4.00	-	4.00
151.	2235- सामाजिक सुस्क्षा एवं कल्याण 02- समाज कल्याण 102- बाल कल्याण 0602- समेकित बाल विकास योजना	24.54	17.05	7.49
152.	102- बाल विकास 0603- बालिका समृद्धि योजना- सहायता अनुदान	1.00	-	1.00
	कुल	43.54	17.05	26.49
153.	अनुदान सं 52 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 2205- कला एवं संस्कृति 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0202- कला एवं संस्कृति का उत्थान (राँची में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना)	1.50	0.15	1.35
154.	796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0203- संग्रहालय	1.07	-	1.07
	कुल	2.57	0.15	2.42

परिशिष्ट - III
अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध राशि की विवरणी
(संदर्भ: कंडिका 1.9.2)

क्रमांक	परियोजना/योजना का नाम	व्यय		कुल
		2000-01	2001-02	
1.	स्वर्ण रेखा बहुउद्येक्षीय परियोजना	8,77,85,19,618	28,86,80,529	9,06,72,00,147

परिशिष्ट - IV

भाग- ख - सूचकांकों/अनुपातों की सूची एवं उनकी संगणना का आधार संदर्भ- कंडिका 1.11.2

सूचकांक/अनुपात		संगणना का आधार
सुदृढ़ता	बी सी आर	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव सभी योजना (मुख्य शीर्ष 1601- 02,03,04) एवं गैर योजना राजस्व व्यय
चालू राजस्व से शेष		
प्रारम्भिक घाटा		
ब्याज अनुपात		
	पूँजीगत परिव्यय	वित्त लेखे की विवरणी सं. 13 के अनुसार पूँजीगत व्यय
पूँजीगत परिव्यय बनाम पूँजीगत प्राप्तियाँ		
	पूँजीगत प्राप्तियाँ	आंतरिक ऋणों (निवल अर्थोपाय अग्रिम) + भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम + लघु बचतों पी एफ आदि से निवल प्राप्तियाँ + राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों से प्राप्त पुनर्भुगतान - राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण
कुल कर प्राप्तियाँ बनाम जी एस डी पी		
बिक्री कर प्राप्तियाँ बनाम जी एस डी पी		
नम्यता		उपर्युक्त अनुसार
चालू राजस्व से शेष	पूँजीगत पुनर्भुगतान	मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004 के अंतर्गत संवितरण घटाव अर्थोपाय अग्रिमों का पुनर्भुगतान/दोनों मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ओभर ड्राफ्ट
पूँजीगत पुनर्भुगतान बनाम पूँजीगत उधार		
	राज्य कर प्राप्तियाँ	
		वित्त लेखे की विवरणी 17
	कुल कर प्राप्तियाँ	
		राज्य कर प्राप्तियाँ जोड़ संघीय करों का राज्यांश
अपूर्ण परियोजनायें		
कुल बनाम जी एस डी पी		
ऋण बनाम जी एस डी पी		
भेद्यता		
राजस्व ऋण		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका सं. 70
राजकोषीय ऋण		लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका सं. 70
प्रारम्भिक घाटा बनाम राजकोषीय घाटा	प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा घटाव ब्याज
कुल लंबित प्रत्याभूतियाँ सुगमता पत्र सहित बनाम सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ	लंबित प्रत्याभूतियाँ	प्रदर्श IV
	राजस्व प्राप्तियाँ	प्रदर्श II
परिसम्पत्तियाँ बनाम दायित्व	परिसम्पत्तियाँ और दायित्व	प्रदर्श I
	ऋण	वर्ष के अंत में उधार एवं अन्य दायित्व (वित्त लेखे की विवरणी सं. 4)

परिशिष्ट - V
वित्तीय स्थिति को बताने वाले कार्य पत्रकों की विवरणी
(संदर्भ: कंडिका 1.11.2)

क्रमांक		विवरण	2001-02 (करोड़ रुपये में)
1	क	राजस्व प्राप्तियाँ	4495.02
	ख	घटाव- 1601, 02, 03, 04 एवं 05 के अंतर्गत सभी योजनागत अनुदान	454.47
	ग	घटाव- गैर योजना राजस्व व्यय	3538.25
	घ	बी सी आर	502.30
2	क	ब्याज प्राप्तियाँ (0049)	61.06
	ख	ब्याज भुगतान (2049)	567.81
	ग	निवल ब्याज भुगतान (ख-क)	506.75
	घ	राजस्व प्राप्तियाँ- ब्याज प्राप्तियाँ	4433.96
	ङ	ब्याज अनुपात (2ग/2घ)	0.11
3		पूँजीगत परिव्यय	732.50
		पूँजीगत प्राप्तियाँ	
	क	6003- आंतरिक ऋण के अंतर्गत बढ़ोत्तरी घटाव अर्थोपाय अग्रिम	1196.47
	ख	6004 के अंतर्गत केन्द्र सरकार से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम की बढ़ोत्तरी	388.92
4	ग	लघु बचत, पी एफ आदि के अंतर्गत निवल प्राप्तियाँ	(-) 61.71
	घ	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (4000)	
	ङ	निवल प्राप्तियाँ (+)/संवितरण (-) राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत	(-) 326.69
	च	कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ (क + ख + ग + घ + ङ)	1196.99
5		पूँजीगत परिव्यय / पूँजीगत प्राप्तियाँ (3/4)	0.61
6		राज्य घरेलू सकल उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	28985
7		कुल कर प्राप्तियाँ (राज्य कर + संघीय करों का राज्यांश)	3188.67
8		कुल कर प्राप्तियाँ/जी एस डी पी (7÷ 6)	0.11
9		राज्य कर प्राप्तियाँ (कर राजस्व - संघीय करों का राज्यांश)	1585.48
10		राज्य कर प्राप्तियाँ /जी एस डी पी (9÷6)	0.05
11		कुल निवेश	8.99
12		निवेश पर प्रतिफल	-
13		निवेश पर प्रतिफल का अनुपात (12 : 11)	-
14		पूँजीगत पुनर्भुगतान	
	क	6003- आंतरिक ऋण के अंतर्गत संवितरण घटाव अर्थोपाय अग्रिम	2.05
	ख	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम 6004 घटाव अर्थोपाय अग्रिम	191.19
	ग	कुल (क + ख)	193.24
15		पूँजीगत उधार यानि (4क + 4ख)	1585.39
16		पूँजीगत पुनर्भुगतान /पूँजीगत उधार	0.12
17		ऋण	
	क	उधार (वर्ष के अंदर प्राप्तियाँ) (4क + 4ख)	1585.39
	ख	अन्य दायित्व	947.92
	ग	कुल (क+ख) (वर्ष के अंदर प्राप्तियाँ)	2533.31
18		ऋण÷ जी एस डी पी	0.27
19		राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+)	(-) 305.10
20		राजकोषीय घाटा (राजस्व व्यय +पूँजीगत व्यय+ निवल ऋण एवं अग्रिम)- (राजस्व प्राप्तियाँ +विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ)	(-) 1365
21		प्रारम्भिक घाटा (राजकोषीय घाटा-ब्याज पुनर्भुगतान) (20-2ख)	797.19

22		पी डी/एफ डी (21/20)	0.58
23		आर डी/एफ डी (19 ÷ 20) आर एस/ एफ एस	0.22
24		लंबित प्रत्याभूतियाँ + ब्याज	-
25		लंबित प्रत्याभूतियाँ/राजस्व प्राप्ति	-
26		परिसम्पत्तियाँ	2875.09
27		दायित्व	8495.51
28		परिसम्पत्तियाँ/दायित्व 26/27	0.34

परिशिष्ट - VI
वैसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए
(संदर्भ: कंडिका 2.3.3)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	पूरक अनुदान/ विनियोजन (लाख रुपये में)	बचत
	राजस्व		
1	2- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	1052.15	1779.98
2	5- राज्यपाल का सचिवालय	142.81	235.08
3	8- नागरिक उड्डयन	620.23	888.96
4	9- सहायिता	1.62	887.31
5	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	134.44	258.57
6	12- वित्त विभाग	823.23	1108.11
7	13- ब्याज भुगतान	57.14	22108.81
8	16- राष्ट्रीय बचत	46.92	73.18
9	17- वित्त (वाणिज्यकर) विभाग	113.30	1822.77
10	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	1901.33	9806.16
11	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2606.61	12324.05
12	21- उच्च शिक्षा विभाग	86.40	1556.08
13	22- गृह विभाग	11371.16	20672.27
14	23- उद्योग विभाग	2627.76	5222.66
15	26- श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	194.59	2456.50
16	27- विधि विभाग	233.70	652.33
17	28- झारखण्ड उच्च न्यायालय	97.28	218.39
18	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2.50	24.23
19	31- संसदीय मामला विभाग	2.50	20.53
20	33- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	135.17	352.66
21	35- योजना एवं विकास विभाग	235.41	543.37
22	36- लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	126.75	1934.19
23	37- राजभाषा विभाग	2.50	166.75
24	39- राहत एवं पुनर्वास विभाग	575.43	1048.81
25	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	1488.27	3231.56
26	41- पथ निर्माण विभाग	200.37	5065.32
27	42- ग्रामीण विकास विभाग	3897.10	14942.60
28	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1274.94	3066.77
29	44- माध्यमिक, प्रारंभिक एवं प्रौढ़ शिक्षा विभाग	4634.61	22363.61
30	48- शहरी विकास विभाग	673.29	1729.27
31	49- जल संसाधन विभाग	205.30	486.23
32	52- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	180.05	489.69
	पूँजीगत		
1	9- सहायिता	189.68	974.68
2	12- वित्त विभाग	25.00	798.24
3	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	33.27	3520.11
4	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	36.72	857.28
5	46- पर्यटन विभाग	50.00	150.00
6	48- शहरी विकास विभाग	3335.00	5985.29
7	49- जल संसाधन विभाग	.01	15896.52
8	50- लघु सिंचाई विभाग	530.00	2790.95
	कुल	39944.54	168509.87

परिशिष्ट - VII

वैसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अधिक साबित हुए
(संदर्भ: कंडिका 2.3.3)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	बचत
	राजस्व खण्ड	(लाख रुपये में)	
1	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	2162.79	1900.07
2	4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वयन विभाग	301.58	226.49
3	6. निर्वाचन	526.69	288.79
4	10. ऊर्जा	504.93	175.99
5	24. सूचना एवं जन संपर्क विभाग	143.88	45.67
6	32. विधान मंडल	328.10	259.99
7	50. लघु सिंचाई विभाग	1135.14	680.96
8	51. कल्याण विभाग	16722.01	12683.13
	पूँजीगत खण्ड		
1	10. ऊर्जा विभाग	2880.00	659.00
2	20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1158.86	793.21
3	42. ग्रामीण विकास विभाग	29960.17	24781.35
	कुल	55824.15	42493.65

परिशिष्ट - VIII
अधिक व्यय जिसका नियमन आवश्यक
(संदर्भ: कंडिका 2.3.4)

क्रमांक	अनुदान एवं विनियोजन की संख्या/नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	व्यय	अधिक	अधिक जिसका नियमन आवश्यक
	भारित खण्ड				
1	32- विधान मंडल	832000	1183562	351562	351562
	पूँजीगत खण्ड				
1	3- भवन निर्माण विभाग	50000	74130086	74080086*	
2	25- संस्थागत वित्त विभाग	69886530	69895337	8807	8807
	कुल			74440455	360369

* ऊपर दिखायी गयी राशि रूपये 74080086 पूँजीगत खण्ड में अनुदान संख्या 3 भवन निर्माण एवं आवास विभाग पर दत्तमत अनुदान के अंतर्गत अधिक दिखायी गयी है जिसका नियमन आवश्यक नहीं है क्योंकि यह अधिकाई पूँजीगत शीर्ष 4059 से संबंधित 35.54 करोड़ रूपये के प्रावधान द्वारा आच्छादित है जो राजस्व खण्ड की माँग की अनुसूची में गलती से सन्निहित की गयी है और फलतः संविधान की धारा 204 के अंतर्गत पारित विनियोग लेखे के अनुदानों की अनुसूची एवं विनियोजन परिशिष्ट में दिया गया है।

परिशिष्ट - IX
वैसे मामले जहाँ व्यय कम हुए
(संदर्भ: कंडिका 2.3.5)

क्रमांक	अनुदानों/ विनियोजन का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (प्रावधान का प्रतिशत कोष्ठक में)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
			दत्तमत खण्ड
1	1-कृषि विभाग	राजस्व 23.99 (24.98) पूँजीगत 2.00 (100)	राजस्व क्रय समिति में विलंब के कारण आंशिक रूप से वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध और मशीन तथा उपकरण नहीं क्रय करने के कारण 21.55 करोड़ रुपये की बचत के लिए कोई कारण सूचित नहीं किये गये। पूर्ण बचत का कोई कारण सूचित नहीं किये गये (मई 2003)।
2	2- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	राजस्व 17.80 (30.99)	राजस्व मुख्यतः वित्त विभाग के निर्देशानुसार वेतन और मँहगाई भत्ते का भुगतान नहीं होने के कारण, आर्थिक उपायों और कोषागार द्वारा विपत्रों के पारित नहीं करने के कारण। 2.74 करोड़ रुपये की बचत के लिए कोई कारण सूचित नहीं किये गये (मई 2003)।
3	3- भवन निर्माण एवं आवस विभाग	राजस्व 19.00 (28.20)	राजस्व पूर्ण बचत के लिए कोई कारण नहीं सूचित किये गये (मई 2003)।
4	4- विधानमंडल सचिवालय एवं समन्वयन विभाग	राजस्व 2.26 (28.38)	राजस्व मुख्यतः वेतन के लिए अधिक प्रावधान और आर्थिक उपायों के कारण।
5	6. निर्वाचन	राजस्व 2.89 (46.84)	राजस्व मुख्यतः समय के अभाव के कारण निधि की निकासी नहीं होने तथा दुमका उप चुनाव का वित्तीय वर्ष के अंदर नहीं हो पाना।
6	8. नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व 8.89 (72.51)	राजस्व आंशिक रूप से हेलिकॉप्टर की खरीद नहीं होने के कारण। शेष बचत 4.71 करोड़ रुपये के लिए कोई कारण नहीं बताये गये (मई 2003)।
7	9. सहकारिता	राजस्व 8.87 (34.89) पूँजीगत 9.74 (100)	राजस्व मुख्यतः संवर्ग विभाजित नहीं होने के कारण एल टी सी का उपभोग नहीं करने और वित्त विभाग की सहमति नहीं होने के कारण। पूँजीगत मुख्यतः एन सी डी सी और बिहार सरकार से योजनावार अनुसूची की प्राप्ति नहीं होने प्रक्रिया का पूर्ण नहीं होने के कारण। शेष बचत 6.35 करोड़ रुपये के लिए कोई कारण सूचित नहीं किये गये (मई 2003)।
8	11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व 2.59 (31.59)	राजस्व मुख्यतः अनुपूरक अनुदान की उपयोगिता के लिए अनुमति की प्राप्ति नहीं होने और स्वीकृति आदेश का निर्गत नहीं होना। शेष बचत 1.39 करोड़ रुपये के लिए कोई कारण नहीं सूचित किये गये (मई 2003)।

9	12. वित्त विभाग	राजस्व 11.08 (33.61) पूँजीगत 7.98 (47.84)	राजस्व मुख्यतः (i) वेतन और भत्ते, टेलिफोन, बिजली और कार्यालय आकस्मिकता में पूर्वानुमान से कम व्यय होने (ii) कम्प्यूटर की खरीद/स्थापन में विलम्ब (iii) पदों के खाली रहने और (iv) आर्थिक उपायों के कारण। पूर्ण बचत के लिए कोई कारण सूचित नहीं किये गये।
10	17. वित्त (वाणिज्यकर) विभाग	राजस्व 18.23 60.87)	राजस्व मुख्यतः बिजली खर्च और किराया के लिए निधि की माँग नहीं करना, वेतन के लिए अधिक प्रावधान, विधि खर्च वाहनों के रख-रखाव में आदि कर्मचारियों का पदस्थापना में भेजा जाना एवं परिवहन विभाग द्वारा उसके अनुदान से बजट पूर्व कार्य होने का निर्णय लेने के कारण।
11	18. खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	राजस्व 7.79 (39.72)	राजस्व मुख्यतः स्वीकृत पदों से कम कर्मचारियों के होने, निधि के आवंटन में विलंब और कोषागार से निधि की निकासी नहीं होने के कारण। शेष बचत 2.92 करोड़ रुपये के लिए कोई कारण नहीं सूचित किये गये।
12	19. वन एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व 98.06 (38.87)	राजस्व पूर्ण बचत के लिए कोई कारण नहीं सूचित किये गये (मई 2003)।
13	20. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व 123.24 (33.51) पूँजीगत 7.93 (26.80)	राजस्व मुख्यतः आर्थिक उपायों, पदों के खाली रहने, वाहनों की कम संख्या, अंतरंग रोगी की संख्या कम होने के कारण भोजन में कम खर्च, मशीन और उपकरण की खरीद में प्रक्रिया के पूरा न होने, कोषागार द्वारा विपत्रों के पारित नहीं करने एवं योजना का विलंब से स्वीकृत होने के कारण। शेष बचत 39.94 करोड़ रुपये के लिए कोई कारण नहीं सूचित किये गये (मई 2003)। पूँजीगत मुख्यतः भवन निर्माण विभाग से प्राक्कलन की प्राप्ति और योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण। 2.16 करोड़ रुपये की अधिकाई थी जिसके लिए कोई कारण सूचित नहीं किये गये (मई 2003)।
14	21. उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व 15.56 (11.84)	राजस्व पूर्ण बचत के लिए कोई कारण नहीं सूचित किये गये (मई 2003)।
15	22. गृह विभाग	राजस्व 206.72 (30.76)	राजस्व अंशतः पदों के रिक्त रहने, मोटर गाड़ियों के क्रय की स्वीकृति नहीं मिलने, संवर्ग विभाजन के नहीं होने, भारतीय आरक्षित बटालियन के नहीं बनने, उपकरणों और शस्त्रों के क्रय में प्रक्रिया के पूरा नहीं होने एवं वार्ड के निर्माण नहीं होने के कारण। 176.08 करोड़ रुपये की बचत के लिए कोई कारण नहीं सूचित किये गये। अंततः 80.37 करोड़ रुपये की अधिकाई थी जिसके कारण की कोई सूचना नहीं दी गयी।
16	23. उद्योग विभाग	राजस्व 52.23 (47.35) पूँजीगत 10.54 (100)	राजस्व अंशतः निधि के अधिक प्रावधान होने, झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग समिति के नहीं बनने, योजनाओं की स्वीकृति में प्रक्रिया के पूरा नहीं होने, प्राधिकार पत्र की प्राप्ति नहीं होने, कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं होने के कारण। 27.64 करोड़ रुपये की बचत के कारण की कोई सूचना नहीं दी गयी है। पूँजीगत पूरे प्रावधानों की उपयोगिता नहीं होने के कोई कारण सूचित नहीं किये गये (मई 2003)।

17	26. श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	राजस्व 24.56 (36.56)	राजस्व अंशतः पेंशन की प्रस्तावित बढ़ी हुई दर की स्वीकृति नहीं होने, स्वीकृत पदों से कम कर्मचारियों के होने और खर्च के आदेश निर्गत नहीं होने के कारण। 8.50 करोड़ रुपये की बचत के लिए कोई कारण सूचित नहीं किये गये।
18	27. विधि विभाग	राजस्व 6.52 (15.58)	राजस्व बचत के लिए किसी भी कारण की सूचना नहीं दी गयी।
19	29. खान एवं भू-तत्व विभाग	राजस्व 9.20 (52.63)	राजस्व मुख्यतः पद रिक्त रहने, वाहनों के क्रय नहीं होने, कम्प्यूटर की खरीद नहीं होने के कारण। 3.74 करोड़ रुपये की बचत के लिये किसी कारण की सूचना नहीं दी गयी।
20	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	पूँजीगत 4.25 (42.50)	पूँजीगत पूरी बचत के कारणों के लिए कोई सूचना नहीं दी गयी।
21	32. विधान मंडल	राजस्व 2.59 (24.41)	राजस्व मुख्यतः बढ़े हुए वेतन के भुगतान नहीं होने, पदों के रिक्त रहने, कम्प्यूटर के कम संख्या में क्रय होने एवं गाड़ियों के क्रय में विलम्ब होने के कारण।
22	33. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व 3.53 (57.87)	राजस्व अंशतः बिजली की खपत कम होने, अतिथि व्याख्याताओं की संख्या में कमी और लोकायुक्त के कार्यालय के कार्य नहीं करने के कारण।
23	35. योजना एवं विकास विभाग	राजस्व 5.43 (11.72)	राजस्व मुख्यतः अधिक बजट प्रावधान होने, केन्द्र सरकार द्वारा निधि के नहीं दिये जाने और वेतन एवं भत्ते के लिए कम निधि की माँग के कारण। 0.96 करोड़ रुपये की बचत के लिए कोई कारण सूचित नहीं किये गये।
24	36. लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग	राजस्व 19.34 (19.25)	राजस्व मुख्यतः वित्त/कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के बाद बहाल किये गये वर्क चार्ज कर्मचारियों के वेतन भत्ते, मजदूरी और बोनस के बकाये का भुगतान नहीं होने, मशीन की खरीद नहीं होने और रसायनों पर कम खर्च के कारण। 2.46 करोड़ रुपये की बचत के लिए कोई कारण सूचित नहीं किये गये।
		पूँजीगत 80.44 (57.46)	पूँजीगत अंशतः आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय में मामला दायर करने के कारण वस्तुओं के निर्माण के लिए विलंब से आपूर्ति आदेश निर्गत होने, भारत सरकार द्वारा निधि के नहीं दिये जाने और योजना के क्रियान्वित नहीं होने यद्यपि समय से स्वीकृत थे के कारण। 33.32 करोड़ रुपये की बचत के लिए किसी कारण की सूचना नहीं दी गयी।
25	39. राहत एवं पुनर्वास विभाग	राजस्व 10.49 (12.60)	राजस्व पूर्ण बचत के लिए किसी भी कारण की सूचना नहीं दी गयी। मुख्यतः ट्रक और ट्रैक्टरों द्वारा पीने के जल की ढुलाई और 'सूखा -अन्य व्यय - अन्य कार्य' के अंतर्गत 8.46 करोड़ रुपये का अनुदान अधिक था।
26	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व 32.32 (25.84)	राजस्व अंशतः 15.11.2000 के पूर्व की अवधि के बकाये की निकासी के लिए प्रतिबंध लगाना, पदाधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं करने, वाहन के क्रय के लिए स्वीकृति नहीं मिलने, आकस्मिकता व्यय के विपत्र को समय से प्रस्तुत नहीं करने और वित्तीय वर्ष में वित्तीय प्रक्रिया के पूरा नहीं होने के कारण, 18.49 करोड़ रुपये की बचत की कोई सूचना नहीं दी गयी।

27	41. पथ निर्माण विभाग	राजस्व 50.65 (34.79)	राजस्व मुख्यतः मोटर वाहनों की खरीद के लिए दरों के अनुमोदित नहीं होने, क्रय समिति द्वारा मशीन और उपकरणों कम्प्यूटर सहित , वेतन एवं भत्ते में कम व्यय होने, प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति में अपरिहार्य विलंब होने, पदों के रिक्त रहने, संवर्ग का बँटवारा नहीं होने और मोटर गाड़ियों की खरीद नहीं होने के कारण।
		पूँजीगत 79.68 (42.88)	पूँजीगत मुख्यतः (i) योजनाओं के अनुमोदन में अपरिहार्य विलंब, डी पी आर के तैयार करने, निविदाओं के निष्पादन में, प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन (ii) समय की कमी के कारण ।
28	42. ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व 149.43 (35.05)	राजस्व मुख्यतः योजना परिव्यय में घटाव, केन्द्र के अंश की दृष्टि से राज्य के अंश में प्रतिबंध पदाधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं होने, पदों के रिक्त रहने, पंचायत चुनाव नहीं होने और आर्थिक उपाय के कारण 17.85 करोड़ रुपये की बचत के कारणों के लिए कोई सूचना नहीं दी गयी ।
		पूँजीगत 247.81 (47.86)	पूँजीगत अंशतः पदों के रिक्त रहने और योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण। 220.08 करोड़ रुपये की बचत के लिए कोई सूचना नहीं दी गया।
29	43. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व 30.67 (47.97)	राजस्व मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, केन्द्र सरकार द्वारा बकाये वेतन के भुगतान और कम्प्यूटर की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने और मोटर वाहनों के क्रय पर रोक लगाने के कारण। 29.10 करोड़ रुपये की बचत के लिए किसी कारण की सूचना नहीं दी गयी है।
		पूँजीगत 8.57 (82.64)	पूँजीगत अंशतः प्राधिकार समिति द्वारा सरकारी पॉलिटिकनीक दुमका पर व्यय को जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत वर्गीकृत करने की सलाह के कारण। 8.21 करोड़ रुपये की बचत के लिए किसी कारण की सूचना नहीं दी गयी ।
30	44. माध्यमिक, प्रारंभिक एवं जन शिक्षा विभाग	राजस्व 223.64 (20.30)	राजस्व अंशतः निधि की कम स्वीकृति और समायाभाव के कारण 216.53 करोड़ रुपये की बचत के लिए किसी कारण की सूचना नहीं दी गयी।
31	47. परिवहन विभाग	पूँजीगत 2.59 (86.05)	पूँजीगत अंशतः कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की पदस्थापना नहीं होने और वाहनों के क्रय नहीं होने के कारण। 2.00 करोड़ रुपये की बचत के लिए किसी कारण की सूचना नहीं दी गयी।
32	48. शहरी विकास विभाग	राजस्व 17.29 (28.00)	राजस्व मुख्यतः योजना विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं होने के कारण योजना का क्रियान्वयन नहीं होने, प्रस्तावों के विलंब से प्राप्त होने के फलस्वरूप अनुदान स्वीकृत नहीं होने, माँगों के समय से प्राप्त नहीं होने, पदों के रिक्त रहने और शहरी स्थानीय निकायों का निर्वाचन नहीं होने के कारण। एक ही शीर्ष में 2.40 करोड़ रुपये अधिक था।
		पूँजीगत 59.85 (40.90)	पूँजीगत अंशतः समय से योजना के प्रस्तुत नहीं होने, योजना विभाग/ योजना मंत्री द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं करने/ विचाराधीन रहने और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा माँग पत्र नहीं प्राप्त होने से 31 मार्च 2002 को 5.94 करोड़ रुपये का अभ्यर्पण किया गया चूँकि यह प्रावधान भवन निर्माण विभाग अनुदान सं.- 3 से संबंधित था। 26.33 करोड़ रुपये की बचत के कारण के लिए कोई सूचना नहीं दी गयी (मई 2003)।
33	49. जल संसाधन विभाग	राजस्व 4.86 (20.27)	राजस्व पूरी बचत के लिए किसी कारण की सूचना नहीं दी गयी (मई 2003) ।
			पूँजीगत

		पूँजीगत 158.97 (50.32)	अंशतः भूमि अर्जन में विलंब और वन भूमि का स्थानांतरण और लोगों द्वारा अवरोध के कारण। 73.91 करोड़ रुपये की बचत के लिए किसी कारण की सूचना नहीं दी गयी (मई 2003)।
34	50. लघु सिंचाई विभाग	राजस्व 6.81 (18.69) पूँजीगत 27.91 (45.88)	राजस्व मुख्यतः 15.11.2000 के पूर्व की अवधि से संबंधित बकाये के भुगतान पर प्रतिबंध के कारण। 3.09 करोड़ रुपये की बचत के लिए किसी कारण की सूचना नहीं दी गयी। पूँजीगत मुख्यतः योजनाओं के नामों में गलती, स्थान के चुनाव और स्थानीय प्रतिरोध के कारण, योजनाओं की स्वीकृति में विलंब के कारण। 15.40 करोड़ रुपये की बचत के कारणों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गयी।
35	51. कल्याण विभाग	राजस्व 126.83 (25.46)	राजस्व अंशतः (i) वेतन के अंतर्गत अधिक प्रावधान (ii) विद्यालयों के कम संख्या में निर्माण के प्राक्कलन की प्राप्ति (iii) प्रस्तावों की विलंब से प्राप्ति और । केन्द्रीय अंश की कम प्राप्ति होने के कारण । 87.76 करोड़ रुपये की बचत के कारणों की कोई सूचना नहीं दी गयी (मई 2003)।
36	52. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व 4.90 (47.07)	राजस्व मुख्यतः क्रय समिति द्वारा अनुमोदित नहीं होना, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेलों के विजेताओं को पुरस्कारों का कम वितरण, छात्रवृत्तियों, एल आई सी, किराये आदि में कम व्यय, पदों का रिक्त रहना और विभागीय योजना समिति की राय के प्राप्त नहीं होने के कारण।

भारित खण्ड (विनियोग)

क्रमांक			
1	5. राज्यपाल का सचिवालय	राजस्व 2.35 (64.38)	राजस्व अंशतः सुस्खा उपायों पर सरकार का निर्णय विचाराधीन रहने के कारण राज्यपाल के लिए बजट प्रुफ गाड़ी का क्रय नहीं होना और अवकाश यात्रा रियायत पर कम व्यय के कारण । 1.32 करोड़ रुपये की बचत के कारणों की कोई सूचना नहीं दी गयी (मई 2003)।
2	13. ब्याज भुगतान	राजस्व 201.09 (28.03)	राजस्व (i) अंशतः 1999-2000 से प्राप्त लघु बचत संग्रह के अंश के व्यय का पुनर्वर्गीकरण और बाद में शीर्ष 123- सामाजिक सुस्खा पर ब्याज के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 89.45 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि में निर्गत होने । (ii) मात्र एक दिन के लिए 1.38 करोड़ रुपये ओवर ड्राफ्ट की सुविधा का उपयोग । (iii) बिहार राज्य और एन सी डी सी के योजनावार अनुसूचियों का प्राप्त नहीं होना 1.10 करोड़ रुपये के कारण । 231.05 करोड़ रुपये की बचत के लिए किसी कारण की सूचना नहीं दी गयी। अंशतः व्यय के पुनर्वर्गीकरण के कारण 91.92 करोड़ रुपये की अधिकता थी।
3	14. ऋणों का पुनर्भुगतान	पूँजीगत 35.20 (14.64)	पूँजीगत मुख्यतः अर्थोपाय अग्रिमों का कम प्रयास और बजट स्तर (36.86 करोड़ रुपये) पर अपेक्षा से कम ओवर ड्राफ्ट, आर बी आई, पटना से माँग पत्र प्राप्त नहीं होने, यद्यपि माँगा गया था (0.35 करोड़ रुपये), एन सी डी सी और पटना से योजनावार सूची के प्राप्त नहीं होने (1.27 करोड़ रुपये) के कारण । 29.57 करोड़ रुपये की बचत के कारणों की कोई सूचना नहीं दी गयी। कुल 31.04 करोड़ रुपये अधिक थे जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये।
4	28. उच्च न्यायालय	राजस्व 2.18 (30.36)	राजस्व अंशतः निधि के अधिक प्रावधान के कारण (1.66 करोड़ रुपये) । शेष बचत के लिए किसी कारण की सूचना नहीं दी गयी।
5	34. झारखण्ड लोक सेवा आयोग	राजस्व 2.80 (99.29)	राजस्व मुख्यतः झारखण्ड लोक सेवा आयोग के विलंब से गठन के कारण ।

परिशिष्ट - X

वैसे मामले जिनमें प्रत्येक में 2 करोड़ रुपये से अधिक की सतत् बचत
(संदर्भ: कंडिका 2.3.6)

क्रमांक	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत (राशि करोड़ रुपये में) और (प्रावधान से उसकी प्रतिशतता कोष्ठक में)		
		राजस्व दत्तमत	2000-01	2001-02
1	1. कृषि विभाग		13.59 (45)	23.99 (25)
2	2. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग		6.17 (37)	17.80 (31)
3	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग		5.00 (33)	19.00 (28)
4	9. सहकारिता विभाग		10.74 (75)	8.87 (35)
5	12. वित्त विभाग		3.52 (37)	11.08 (34)
6	15. पेशन		39.55 (19)	4.07 (0.78)
7	17. वित्त (वाणिज्यकर) विभाग		2.18 (38)	18.23 (61)
8	19. वन एवं पर्यावरण विभाग		60.68 (59)	98.06 (39)
9	20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग		51.17 (46)	123.24 (34)
10	21. उच्चतर शिक्षा विभाग		4.20 (13)	15.56 (12)
11	22. गृह विभाग		35.53 (18)	206.72 (31)
12	23. उद्योग विभाग		14.43 (85)	52.23 (47)
13	26. श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग		4.16 (14)	24.56 (37)
14	27. विधि विभाग		3.95 (27)	6.52 (16)
15	29. खान एवं भू-तत्व विभाग		2.33 (46)	9.20 (53)
16	35. योजना एवं विकास विभाग		2.66 (50)	5.43 (12)
17	36. लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग		17.39 (48)	19.34 (19)
18	39. राहत एवं पुनर्वास विभाग		2.35 (46)	10.49 (13)
19	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		12.27 (34)	32.32 (26)
20	41. पथ निर्माण विभाग		2.86 (12)	50.65 (35)
21	42. ग्रामीण विकास विभाग		181.31 (64)	149.43 (35)
22	43. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग		5.16 (48)	30.67 (48)
23	44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं लोक शिक्षा विभाग		98.75 (28)	223.64 (20)
24	48. शहरी विकास विभाग		4.23 (80)	17.29 (28)
25	49. जल संसाधन विभाग		2.75 (43)	4.86 (20)
26	51. कल्याण विभाग		50.96 (55)	126.83 (25)
	भारत राजस्व			
1	13. ब्याज भुगतान		334.46 (80)	221.09 (28)
2	28. उच्च न्यायालय		2.15 (67)	2.18 (30)
	दत्तमत पूँजीगत			
1	9. सहकारिता विभाग		2.45 (100)	9.75 (100)
2	10. ऊर्जा विभाग		139.13 (87)	6.59 (2)
3	23. उद्योग विभाग		4.69 (100)	10.54 (100)
4	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग		6.50 (100)	4.25 (43)
5	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग		23.70 (100)	80.44 (57)
6	41. पथ निर्माण विभाग		4.11 (20)	79.68 (43)
7	42. ग्रामीण विकास विभाग		10.41 (12)	247.81 (48)
8	48. शहरी विकास विभाग		15.69 (82)	59.85 (41)
9	49. जल संसाधन विभाग		61.90 (52)	158.97 (58)
10	50. लघु सिंचाई विभाग		7.59 (70)	27.91 (46)
	भारत पूँजीगत			
1	14. ऋणों का पुनर्भुगतान		46.15 (26)	35.20 (15)

परिशिष्ट - XI

नयी सेवायें/सेवाओं के नये साधन पर बजट प्रावधान से अधिक व्यय
(संदर्भ: कंडिका 2.3.7)

क्रमांक	अनुदान विनियोग संख्या/लेखा शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	अधिक
1	विनियोग सं.- 13 व्याज भुगतान 04- केन्द्र के ऋणों एवं अग्रिमों पर व्याज 104- गैर-योजना योजनाओं के लिए ऋण पर व्याज 0003- अन्य गैर योजनाओं से प्राप्त ऋण पर व्याज	55.00	301.87	246.87
2	अनुदान सं. 14 - ऋणों का पुनर्भुगतान 6004- केन्द्र सरकार से गैर-योजना ऋणों, ऋण एवं अग्रिम 800- अन्य ऋण 6000- अन्य ऋण	50.00	562.59	512.59
3	अनुदान सं.- 39 2245- प्राकृतिक आपदाओं में राहत 01- सूखा 102- पेय जलापूर्ति 0001- ट्रक और ट्रैक्टर से पेय जल की दुलाई	4.18	68.79	64.61
4	800- अन्य व्यय 0002- अन्य कार्य	29.25	774.70	745.45
	कुल	138.43	1707.95	1569.52

परिशिष्ट - XII

नयी सेवाओं/सेवाओं के नये साधन पर बिना बजट प्रावधान का व्यय

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7)

	अनुदान विनियोग संख्या/ लेखा शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक
			(लाख रुपये में)	
1	अनुदान सं.- 12 7610- सरकारी सेवकों आदि को ऋण 800- अन्य अग्रिम 10- अन्य अग्रिम	शून्य	10.16	10.16
2	अनुदान सं.- 23 2852- उद्योग 80- सामान्य 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 0202- विद्युत उपयोग पर औद्योगिक इकाईयों को अनुदान	शून्य	20.00	20.00
3	अनुदान सं.- 39. राहत एवं पुनर्वास विभाग 114- कृषि निवेश के क्रय के लिए किसानों को सहायता 0000- कृषि निवेश अनुदान (क्षतिग्रस्त फसल के लिए)	शून्य	3.76	3.76
4	02- बाढ़, चक्रवात आदि 109- मरम्मत क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, नाले एवं मल निकासी कार्यों की मरम्मत और पुनरुद्धार 0000- क्षतिग्रस्त मल निकासी एवं जलापूर्ति व्यवस्था की मरम्मत एवं रख-रखाव	शून्य	26.98	26.98
5	अनुदान संख्या 41- पथ एवं पुल 799- उर्ध्व 0002- क्रय	शून्य	223.63	223.63
6	0003- विविध कार्य अग्रिम	शून्य	67.04	67.04
7	अनुदान सं.- 48 4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय 01- सरकारी आवासीय भवन 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0200- जनजातीय क्षेत्र उप योजना	शून्य	263.25	263.25
	कुल		614.82	614.82

परिशिष्ट - XIII
प्रत्याशित बचतें अभ्यर्पित नहीं हुईं
(संदर्भ: कंडिका 2.3.8)

क्रमांक	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	बचतें अभ्यर्पित नहीं
	राजस्व खण्ड - दत्तमत	(करोड़ रुपये में)	
1	1. कृषि विभाग	23.99	20.73
2	2. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	17.80	3.29
3	12. वित्त विभाग	11.08	2.57
4	18. खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	7.79	3.98
5	20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	123.24	65.47
6	23. उद्योग विभाग	52.23	17.37
7	26. श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	24.56	1.57
8	29. खान एवं भूतत्व विभाग	9.20	3.62
9	36. लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	19.34	2.36
10	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	32.32	7.71
11	42. ग्रामीण विकास विभाग	149.43	18.25
12	43. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	30.67	29.02
13	44. माध्यमिक, प्रारंभिक एवं प्रौढ़ शिक्षा विभाग	223.64	216.40
14	48. शहरी विकास विभाग	17.29	3.31
15	49. जल संसाधन विभाग	4.86	2.89
16	51. कल्याण विभाग	126.83	43.86
17	52. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	4.90	1.64
	राजस्व खण्ड- भारत		
1	5. राज्यपाल का सचिवालय	2.35	1.91
2	13. ब्याज भुगतान	221.09	219.56
	पूँजीगत खण्ड- दत्तमत		
1	9. सहकारिता	9.75	6.35
2	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4.25	1.12
3	36. लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	80.44	33.41
4	42. ग्रामीण विकास विभाग	247.81	175.25
5	43. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	8.57	8.20
6.	46. पर्यटन विभाग	1.50	1.00
7	47. परिवहन विभाग	2.59	1.95
8	48. शहरी विकास विभाग	59.85	21.54
9	49. जल संसाधन विभाग	158.97	44.98
10	50. लघु सिंचाई विभाग	27.91	15.33
	पूँजीगत खण्ड- भारत		
1	14. ऋणों का पुनर्भुगतान	35.20	33.56
	कुल	1739.46	1008.20

परिशिष्ट - XIV
वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका 2.3.9)

क्रमांक	अनुदान/विनियोग सं.	बचत	अभ्यर्पण	अधिक अभ्यर्पण
	राजस्व खण्ड	(लाख रुपये में)		
1	16. राष्ट्रीय बचत	73.18	73.22	0.04
2	38. पंजीयन विभाग	99.98	137.74	37.76
3	39. राहत एवं पुनर्वास विभाग	1048.81	1768.38	719.57
4	46. पर्यटन विभाग	122.10	158.15	36.05
	पूँजीगत खण्ड			
1	10. ऊर्जा	659.00	6500.00	5841.00
	कुल	2003.07	8637.49	6634.42

परिशिष्ट - XV
अनुचित/अधिक अभ्यर्पणों की विवरणी
(संदर्भ: कंडिका 2.3.10)

क्रमांक	अनुदान/ विनियोग सं.	उपशीर्ष/ योजनायें	प्रावधान (मूल + अनुपूरक)	अभ्यर्पण	व्यय	अधिक
			(लाख रुपये में)			
1	10	2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें 090- सचिवालय 0001 क- ऊर्जा विभाग	99.70	60.50	59.95	20.75
2	22	2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें 113- पुलिस कर्मियों का कल्याण 0001- अस्पताल भार	92.24	35.80	275.79	219.35
3	22	2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें 108- अग्नि सुरक्षा सेवायें 0001- अग्नि सुरक्षा सेवायें	165.96	21.54	216.23	71.81
4	22	2055- पुलिस 001- निर्देशन एवं प्रशासन 0001- अधीक्षण	435.82	76.44	1251.76	892.38
5	24	2220- सूचना एवं प्रचार 60- अन्य 0002- जिला चलंत इकाई	184.64	12.52	183.64	11.52
		कुल	978.36	206.80	1987.37	1215.81

परिशिष्ट - XVI
असमाशोधित व्यय की विवरणी
(संदर्भ: कंडिका 2.3.11)

क्रमांक	विभाग	इकाइयाँ	राशि (करोड़ रुपये में)
1	मानव संसाधन विकास विभाग	292	1036.91
2	वित्त विभाग	161	531.77
3	पंचायती राज विभाग	165	392.72
4	परिवहन विभाग	25	340.33
5	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	164	195.05
6	ग्रामीण विकास विभाग	19	152.23
7	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	10	104.00
8	लोक निर्माण विभाग	40	94.20
9	वन एवं पर्यावरण विभाग	71	93.28
10	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग	107	87.90
11	जल संसाधन एवं एफ सी (एम आई) विभाग	19	55.11
12	शहरी विकास विभाग	09	43.94
13	विधि विभाग	18	39.63
14	विद्युत् (ऊर्जा) विभाग	05	33.00
15	उद्योग एवं खनिज विभाग	468	27.95
16	कृषि विभाग	21	17.51
17	श्रम एवं रोजगार विभाग	33	17.50
18	सहकारिता विभाग	22	16.15
19	योजना एवं विकास विभाग	25	12.60
20	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	08	11.24
21	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	07	06.50
22	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	33	05.57
23	सचिवालय सामान्य सेवार्ये विभाग	06	04.36
24	आवास विभाग	05	02.99
25	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	01	01.63
26	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	01	00.67
27	पर्यटन विभाग	01	00.09
	कुल	1736	3324.83

परिशिष्ट - XVII
[संदर्भ कंडिका 3.1.5.1 (i) (क)]

क्रमांक	प्रमंडल	वृक्षारोपण का वर्ष	योजना	वृक्षारोपण स्थान/थाना नम्बर	क्षेत्र एकड़ में	कार्य योजना के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र (एकड़ में)	अंतर (हेक्टेयर)	अधिक क्षेत्र में किये गये वृक्षारोपण की लागत
1	वनरोपण प्रमण्डल हजारीबाग	1998-99	क्यू जी एस	चातक/ रामगढ़ 136	48.82	शून्य	48.82	4.50
		वही	एफ एफ पी	चौबे/ बरकट्टा	64.00	शून्य	64.00	4.01
		वही	भू-संरक्षण	केसुरा, अनबारी और सेखो/ सादा 170, 132 एवं 185	73.00	7.45	65.55	10.06
		वही	वही	कप्ता/ बरकट्टा 71	36.50	शून्य	36.50	5.58
		वही	वही	रौता/मांडू 110	40.00	शून्य	40.00	6.12
		वही	वही	गरुकुरा/ बरही 18	43.36	शून्य	43.36	1.91
		वही	वही	सुगिया/ रामगढ़ 177	70.00	शून्य	70.00	7.95
2	वन अनुसंधान पदाधिकारी, राँची	1999-2000	एफ एफ पी :50	पुसु/काँके 10	45			
		2000-2001	वही	वही	109			
		1999-2000	वही	उरुगुट्टु/ काँके 13	73	91.94	135.06	20.14
3	वन प्रमण्डल, बोकारो	1997-98	ई ए एस	उत्तग्राम/35	50	7.40	42.60	6.48
		वही	वही	रघुबहियार/58	50	4.94	45.06	6.86
		1999-2000	वही	पथुरिया/88	40	शून्य	40.00	8.15
		वही	वही	बगियारी/100	45	शून्य	45.00	9.17
		वही	वही	चित्तू, करमाटाड़/103, 102	35	17.52	17.48	3.56
		1998-99	जे आर वाई	जेब्रा/33	70	56.06	13.94	2.84
		वही	वही	रुकुम/124	70	शून्य	70.00	14.27
		वही	वही	झुझको/48	100	शून्य	100.00	12.50
		वही	आर एफ डी	उलगादा/ अनुपलब्ध	40	शून्य	40.00	2.73
		वही	वही	उत्तसारा/35	50	7.40	42.60	
		वही	वही	ओरडारा/9	46	शून्य	46.00	
		वही	वही	मन्नो/75	44	शून्य	44.00	7.56

4	वन रोपण प्रमंडल, रॉंची	1999-2000	एन ए इ बी (100 % सी एस एस)	मारवा/ काँके 14	100	65.62	34.38	33.89
		वही	वही	बीरगाँव/ तमाड़ 198	80	20.24	59.76	
		2000-01	आर डी एफ	लोहार/ तमाड़ 149	70	40.48	29.52	
		1999-2000 2000-2001	एन ए इ बी भू संरक्षण	संजमडीह/ तमाड़ 99 वही	50 40	80.96	9.04	
		1999-2000 2000-2001	एन ए इ बी भू संरक्षण	तमाड़ 196 वही	50 50	61.44	38.56	
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर	1999-2000	संपूर्ण वनरोपण एवं इको विकास 100 % सी एस एस	भिखण्डिहा/ मधुपुर 70	185			32.15
		वही	वही	त्रिलोकीडीह/ मधुपुर 71	50	शून्य	235	
6	धालभूम वन प्रमंडल, जमशेदपुर	1998-99	आर डी एफ	कोरिया/ घाटशिला 1216	75	शून्य	75	50.09
		वही	वही	पथरगरा/ मूसबनी 160	50	शून्य	50	
		वही	वही	खूटिरजेरी/ राखा 91,90	50	47.00	03	
		वही	वही	नूरिसा और आरीधरजा/ चकलू 366, 368	50	शून्य	50	
		वही	क्यू जी एस	राजबसा, दिघी /चकुलिया 362, 346	50	शून्य	50	
		वही	वही	अमराजोरा (मूसबनी 347)	50	शून्य	50	
7	सिंहभूम वन प्रमंडल, चाईबासा	1998-99	वही	हथियाडीह (पटम्डा 175)	50	शून्य	50	48.42
8	वन रोपण प्रमंडल सिंहभूम	2000-01	क्यू जी एस	रंगमेटिया /सराईकला	42	शून्य	42	5.29
		1999-2000	आर डी एफ	राजाबेड़ा /वांडिल 203	43	28.34	14.66	4.58
		वही	वही	बालीडीह /सराईकला 428	43	12.14	30.86	
				कुल	2420.68	548.93	1871.75	308.81

परिशिष्ट- XVIII
[संदर्भ: कडिका 3.1.5.1 (v)]

क्रमांक	प्रमण्डल का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	लगाये गये पौधों की संख्या (लाख में)	पौधों का आवश्यक अतिजीवन (लाख में)	पौधों का वास्तविक अतिजीवन (लाख में)	अतिजीवन की प्रतिशतता	ह्रास (लाख में)	प्रति पौधा व्यय (रुपये में)	सरकार को हानि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वन रोपण प्रमण्डल, गिरिडीह	1999/आर डी एफ	1.66	1.00	0.51	31	0.49	7.77	3.81
2	वन रोपण प्रमण्डल, राँची	आर डी एफ/1997	1.19	0.71	0.30	25	0.41	7.00	2.87
3	वही	एफ एफ पी/1997	2.00	1.20	0.43	22	0.77	5.80	4.47
4	वही	एन ए ई बी/1999	1.20	0.72	0.61	51	0.11	4.34	0.48
5	वही	आर डी एफ/1999	1.60	0.96	0.63	39	0.33	5.64	1.86
6	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	क्यू जी एस/1996	1.25	0.75	0.61	49	0.14	4.38	0.61
7	वही	औषधीय पौधा /1996	2.72	1.63	1.42	52	0.21	4.38	0.92
		कुल	11.62	6.97	4.51		2.46		15.02

परिशिष्ट- XIX

[संदर्भ: कंडिका 3.3.5 (ख) (iii)]

विभिन्न अभिकर्ताओं के यहाँ लंबित अग्रिम जो रोकड़ बही में भारित हुआ

क्रमांक	विवरण	1.4.1997 को अधिशेष	भुगतान 1997-2002 (अग्रिम के रूप में)	सामंजन 1997-2002	31.3.2002 को शेष	अभ्युक्तियाँ
1	सामुदायिक सिंचाई एवं निर्माण बाँध योजना के प्र.वि.प.	3427918.45	शून्य	शून्य	3427918.45	8 वर्षों से अधिक
2	बागवानी के लिए जि.कृ.प.	127682.33			127682.33	वही
3	आर.के. मिशन, राँची	1985.00	शून्य	शून्य	1985.00	वही
4	सपन कु. डे	-	5900	-	5900	
5	अवनिर्माण हेतु प्र.वि.प.	5616157	7979900	1045471	3160586	
6	दुग्ध विकास पदाधिकारी, दुमका	शून्य	800000	600000	200000	1999-2000
7	प्र.वि.प., नालंदा	शून्य	49862		49862	2000-01
8	प्र.वि.प., दुमका	शून्य	418900		418900	वही
9	प्र.वि.प., जारमुण्डी	शून्य	548200		548200	वही
10	प्र.वि.प., कुंडहीत	शून्य	600000		600000	वही
11	प्र.वि.प., जामे	शून्य	49862		49862	वही
12	काठीकुण्ड समग्र विकास परिषद	शून्य	1000000		1000000	वही
13	जिला परिषद, दुमका	शून्य	184871		184871	वही
14	अन्य	शून्य	24893		24893	वही
15	प्र.वि.प.		1705242		1705242	2001-02
16	ग्रामीण विभाग, विशेष प्रमण्डल दुमका एवं एन आर ई पी		3868512		3868512	वही
17	अन्य		3679341		3679341	वही
		9173742.78	20915483	11035471	19053754.78	

परिशिष्ट- XX

[संदर्भ: कंडिका 3.3.7 (ii)]

बैंक और डी आर डी ए गुमला की रोकड़ बही के अनुसार 31.3.2000 के शेष का
विवरण

31.8.2000 के बैंक सामंजस्य विवरणी से प्राप्त

क्रम संख्या	बैंक	लेखा संख्या	पासबुक (बैंक) के अनुसार 31.3.2000 को शेष	आवश्यक जोड़	घटाव आवश्यक	रोकड़ बही के अनुसार शेष	इस अनुसूची के पृष्ठ पर बी आर एस
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आर के जी बी	86	8008.06	310954.1	100797.00	218165.17	19
2	तथैव	50	5786.50	304226.58	100602.03	209411.05	20
3	तथैव	25	337470.34	4926688.26	2177299.36	3086859.24	21-22
4	तथैव	55	5.00	276521.37	68940.00	207586.37	33
5	तथैव	51		296817.79	100000.00	196817.79	34
6	तथैव	419		605545.03	270000.00	335545.03	34
7	तथैव	479		293651.77	293651.77		35
8	तथैव	294		201833.00		201833.33	36
9	तथैव	338	9673.86	222233.42		231907.35	37
10	तथैव	146		150000.00		150000.00	42
11	तथैव	180		150458.33		150458.33	43
12	तथैव	584		328391.66	120000.00	208391.66	44
13	तथैव	644		316555.96	100000.00	216555.96	45
14	तथैव	910		506648.00		506648.01	46
15	तथैव	518		500046.74	240673.20	259368.54	47
16	तथैव	34		458696.30	50005.00	404691.30	48
17	तथैव	586		987609.94	340000.00	647609.94	49
18	तथैव	441		1113518.58	390000.00	723518.58	50
19	तथैव	546		656019.27	263000.00	339019.27	51
20	तथैव	16		435700.65	120005.00	315695.65	52
21	तथैव	499		1349977.69	390000.00	959977.69	55
22	तथैव	621		271666.25	90000.00	181666.25	54
23	तथैव	994		693681.30	360000.00	333681.30	55
24	तथैव	40	6.33	209334.72	52000.00	157341.05	62
25	तथैव	73	71.73	256600.08	50005.00	206666.81	63
26	तथैव	555	794278.94	557538.09	1125968.74	226848.29	24
27	तथैव	1675	5.00	50453.33	50000.00	458.33	64
28	तथैव	59		661580.73	50000.00	611580.73	64
29	तथैव	865		293835.74	60000.00	233835.74	65
30	तथैव	53		549265.38	150050.00	399215.38	65
31	तथैव	106	5.00	106538.36	103691.86		66
32	तथैव	01		253500.00	253500.00	2851.50	66
33	तथैव	1045	5.00	459079.52	230000.00	229034.52	67
34	तथैव	773	983495	486276.00	170000.00	326110.95	67
			1165150.71	19241439.36	7870188.96	12536401.11	
35	तथैव	554	30000.00	13601712.22 + 63268.52	29168415.73	15533434.99	69
36	तथैव	196	4571.29	390907.63	172283.00	223195.92	70

37	तथैव	713	24.71	864700.00	380000.00	484724.71	71
38	तथैव	1757		6500000.00		6500000.00	76
39	एस बी आइ	1614	152604.72	41774581.97	36869495.96	5057690.73	10-11
40	एस बी आइ	2562	37906.45	1289865.00	70951.00	1256820.45	15
41	तथैव	1670		1600026.83	1931103.86	331077.03	57
42	तथैव	1637		105489.32		105489.32	61
43	आर के जी बी	100		560988.02	50005.00	510983.02	72
44	तथैव	31		327783.27	4490.05	282882.22	72
45	बी ओ आइ	5063	174811.85	143370555.51	130933844.53	12611522.83	12 .13
46	तथैव	5465	393608.08	236896.31 + 30152.74	2284255.30	1623598.17	26
47	तथैव	2637	289436.40	5.00	21725.00	267716.40	30
48	तथैव	9208		75000.00	478584.14	403584.14	32
49	तथैव	2889		418584.14		418584.14	33
50	तथैव	9209			2262050.00	2262050.08	71
51	तथैव	2020		1128937.67	600000.00	528937.67	75
52	तथैव	5008		102515.73		102515.73	74
53	आर के जी बी	1008	3712650.28	11975129.96	9306792.59	6380987.65	75
54	बी ओ आइ	18737	2095196.00		641196.00	1454000.00	76
55	तथैव	5159		13320.05	835633.97	822313.92	38
56	तथैव	997			2100000.00	2100000.00	39
57	तथैव	5158		1557.56		1557.56	40
58	तथैव	416		105078.57		105078.57	41
59	तथैव	3063		321775.50		321775.50	60
60	इलाहाबाद बैंक	2000	773115.00	53887884.87	2295959.60	3865940.27	29
61	केनरा बैंक	405	11805.75	3692030.25	2391.00	3701490.00	27
62	यूको बैंक	4570	18503.92	20609.07	61734.90 + 0.01	22.621	92-25
63	तथैव	4571	14968336.75	10768925.47	5228794.07	7036968.15	18
64	यू बी आई	1697	437876.72	4628518.95	3409248.27 + 0.18	1657147.22	14
65	तथैव	2222		332318.80	200000.00	132318.80	36
66	तथैव	1698	12368.23	97876.73	94222.68 + 0.80	16021.48	23
67	तथैव	2003		335250.40	316500.37 + 1.01	18479.02	59
68	यूको बैंक	4551			3310798.54	3310798.54	58
69	सी सी बी	104	5014383.66	32047036.02	28721703.69	8339715.99	16-17
70	तथैव	105	2136.30	5421126.68	1665198.95	3758064.03	68
71	तथैव	113		175507.68	124577.82	50929.86	28
72	जी पी ओ, राँची	732742	3473.55		137494.50	(-) 134020.95	30
73	तथैव	732743	6033.55		132219.15 + 9.00	(-) 126194.60	56
74	तथैव	732749	3334.45		235000.00	(-) 2231665.55	31
75	बी ओ आई	584		2500000.00		2500000.00	72
76	यू बी आई	977		500000.00		500000.00	8
77	यू बी आई कडरामारा शाखा			100000.00		100000.00	8
78	आर के जी बी	744		200000.00		200000.00	7
79	तथैव			100000.00		100000.00	7

बैंक सामंजीय विवरणी 1995 के अनुसार जोड़					
(i)	1.3.86 को रोकड़ बही के आ.शे. में अंतर	15347743.24		15347743.24	
(ii)	1.3.85 को रोकड़ बही के आ.शे. में अंतर	967472.08		967472.08	
(iii)	रोकड़ बही में कम अंकित	1.80		1.80	
(iv)	रोकड़ बही के विकलन तरफ जोड़ी गयी राशि	300.36		300.36	
(v)	रोकड़ बही में आगे लिया गया अधिक जमा	97300.00		97300.00	
एल एस आधार पर बी बार एस 31.8.2000 में सम्मिलित बी पी एस 31.3.95 के अनुसार कमी					
1	2	3	4	5	
(i)	बैंक द्वारा आकलित व्याज रोकड़ बही में लेखापित नहीं		1998173.84	(-)1998173.84	
(ii)	रोकड़ बही में अधिक अंकित		440.40	(-)440.40	
(iii)	रोकड़ बही में आकलन तरफ लिया गया अग्रिम विकलन तरफ समायोजित नहीं		8840.00	(-)8840.00	
(iv)	पिछले बी पी एस का बैंक पास बुक (पृ. 68 से 87)		78460.00	(-)78460.00	
	15775873.37	326821073.28	274043194.95	68553751.70	

सारांश

मेसर्स अवरेश जैन एवं कं. अधिकृत लेखाकार के द्वारा तैयार की गयी बैंक सामंजन विवरणी के अनुसार 31.3.2000 को शेष	15775873.37	या	157.76 लाख
बैंक के सामंजन शेष (समायोजन प्रविष्टियों) के लिए आवश्यक जोड़ एवं डी आर डी ए गुमला की रोकड़ पंजी के अनुसार शेष	(+) 326821073.28	या	3268.21 लाख
बैंक और रोकड़ पंजी के अनुसार शेष के सामंजन हेतु आवश्यक घटाव	(-) 274043194.95	या	2740.43 लाख
31.3.2000 को डी आर डी ए की रोकड़ पंजी/एस जी एस वाई योजना + संघटकों के अनुसार वास्तविक शेष	68553751.70	या	685.54 लाख
(i)	एस जी एस वाई नई रोकड़ पंजी	54730541.63	
(ii)	आर आर डी पी अनुपूरक संघटक रोकड़ पंजी	12885795.05	
(iii)	पशुपालन (आई आर डी पी की सहायक रोकड़ पंजी अब एस जी एस वाई में विलय)	351227.00	
(iv)	ग्रामीण उद्योग (विलिण्डस) रोकड़ बही (लेखा शीर्ष 2285) का सहायक	586188.02	
	68553751.70		

परिशिष्ट- XXI

[संदर्भ: कंडिका सं. 3.4 (क) (i)
उच्चतर दरों पर क्रय की गयी दवाइयों का व्यौरा

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	अभिकर्ताओं का नाम जिससे दवाएँ क्रय की गयी	दवा का नाम	एच ए एल की दर पर दवा का मूल्य	मूल्य जिससे दवायें क्रय की गयी	अधिकार्य व्यय
1	सी एस सह सी एम ओ राँची	1997-02	ब्रो फिल, अमित फार्मा, शिव शंकर इंटरप्राइजेज यूनिकार्मा आदि	टेट्रासाइक्लिन कॉट्रिमॉक्सजोल बी डी एस, एम्पिसिलिन, यूनीजाइम	10.73	19.26	8.53
2	सदर अस्पताल राँची	वही	न्यू मेडिकल एजेंसी एस एस इंटरप्राइजेज	बैंडेज, गॉजथान, एमोक्सिलीन आदि	1.85	4.50	2.65
3	रिनपास राँची	1999-2000	कपिल एजेंसी	क्लोरोप्रोमाजिन	0.04	0.08	0.04
4	आर एम सी एच राँची	1997-01	पुरुषोत्तम फार्मा, कौशल्या ड्रग एजेंसी, एलेक्स फार्मा आदि	डेक्सट्रो 5 % आर एल मेनिटॉल बेजाइल पेंसिलीन	42.58	59.61	17.03
5	पी एम सी एच धनबाद	वही	जी डी इंटरप्राइजेज, बी एस इंटरप्राइजेज, इंडिया एजेंसी, रवि एसोसिएट्स आदि	डी एन एस, आर एल डेक्सट्रो 5 % टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन आदि	17.09	24.43	7.34
6	सी एस सह सी एम ओ धनबाद	वही	भी एस इंटरप्राइजेज, यूनिकार्मा, जी डी इंटरप्राइजेज आदि	मेट्रोनिडाजॉल, जेन्टामाइसिन एन्थ्रोमाइसिन	4.37	6.29	1.92
7	सी एस सह सी एम ओ बोकारो	2000-01	के ए पी एल, एम ए पी एल	टेट्रासाइक्लिन कॉट्रिमॉक्सजोल डी एस आदि	0.45	1.28	0.83
8	सदर अस्पताल गिरिडीह	2000-01	एन एस ट्रेडिंग, कृष्णा सर्जिकल अन्य	टेट्रासाइक्लिन, आर एल सिप्रोफ्लोव सासिन, एम्पिसिलिन आदि	1.18	2.27	1.09
9	सी एस गिरिडीह	वही	एन एस ट्रेडिंग	डी एन एस, बैंडेज, गॉज आदि	1.17	1.68	0.51
10	सी एस देवघर	1997-01	यूनिकार्मा, राहुल डिस्ट्रीब्यूटर्स, रॉक्स एण्ड रिक्स आदि	कॉट्रोमेक्सजोल एम्पिसिलिन रेनिटिडिन पारासिटामोल	6.47	9.44	2.97
11	सदर अस्पताल देवघर	वही	के इंटरप्राइजेज, राहुल डिस्ट्रीब्यूटर्स, यूनिकार्मा आदि	डी एन एस, एन एस, आर एल कॉलरिक्सोनॉल गोली, डेक्सामेथासोन	2.19	3.30	1.11
12	ए सी एम ओ राँची	1997-02	ए के सेल्स, एम के फार्मा, जे के इंटरप्राइजेज	डॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन आदि	4.99	9.07	4.08
13	ए सी एम ओ धनबाद	1997-02	यूनिकार्मा, जी डी इंटरप्राइजेज, भी एस इंटरप्राइजेज	एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन सिप्रोफ्लोव्स	2.64	4.12	1.48
					95.75	145.33	49.58

परिशिष्ट - XXII

[संदर्भ: कडिका 3.4 (ख) v]

व्यर्थ पड़े उपकरणों की सूची

(लाख रुपये में)

कार्यालय का नाम	संस्थापन वर्ष/नियोजक से व्यर्थ	उपकरणों का नाम	इकाईयों की संख्या	मूल्य	कारण
1	2	3	4	5	6
आर एम सी एच, राँची	1997-98/ जनवरी 1999	अनेस्थेसिया	3	14.93	बिना मरम्मत
	1998-99/ जनवरी 1999	वोल्टाज स्टेबलाइजर	4	0.10	वही
	1997-98/ जनवरी 2000	पल्स ऑसिलेटर	2	0.57	वही
	2001-02/ 24.8.2001	बी पी यंत्र	3	1.25	वही
	2001/ 23.8.2001	ऑक्सीजन फ्लो मीटर	4	1.21	वही
	2000-01/ 30.6.2000 सितम्बर 2000	मरीज ट्रॉली	1	0.25	वही
	1999-2000/ सितम्बर 2000	फ्लो मीटर	1	0.35	वही
	1998-99/ 1.4.2002	एयर कंडीशनर	4	3.77	वही
	1999-2000/ 11.1.2002	फ्लो मीटर	5	0.86	वही
	1998-2000 (29.1.2002)/ 25.8.01 एवं 5.1.2001	ऑपरेशन मेज	2	0.96	वही
	1999-2000 (27.11.99)/ उपलब्ध नहीं	एयर कंडीशनर	1	0.94	वही
	1998/ जनवरी 2001	ऑडियो मोटर	1	0.70	वही
2. सी एस, बोकारो	1987-88/ (127/8) /2.9.87	एक्स-रे मशीन	1	1.00	(i) तकनीशियन पदस्थापित नहीं (ii) एक्स-रे प्लेट और रसायन उपलब्ध नहीं
3. सदर अस्पताल, बोकारो	1987-88/ (4.5.87 और 2.9.87)/ 6.11.90	एक्स-रे मशीन	1	2.04	एक्सपोजर भार नहीं सहन करता है, बिना मरम्मत सी एस की स्वीकृति की प्रतीक्षा
4. पी एम सी एच, धनबाद	1998-99/ उपलब्ध नहीं	स्टेबलाइजर के साथ ए सी मशीन	1	0.27	यंत्र में खराबी
	1998-99/ (10.4.98 और 1.6.99)/ उपलब्ध नहीं	फ्रीज	2	0.28	तकनीकी खराबी
	1998-99 (26.5.99)/ जून 2001	अल्ट्रासाउंड मशीन, पी बी एक्स तंत्र	1	1.86	उपलब्ध नहीं तकनीकी खराबी
5. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, जमशेदपुर	1982/ 1991-95	सूक्ष्मदर्शी	1	0.36	तकनीकी खराबी
	2001-02/ 8/2001	सूक्ष्मदर्शी	2	0.66	तकनीशियन पदस्थापित नहीं
	2001-02/ 9/2001	बाइनोकुलर		0.36	
6. एम जी एम महाविद्यालय और अस्पताल, जमशेदपुर	1981-82/ 1981-82	5 आर डी 72.5	1	अनुपलब्ध	स्थान और विद्युत की कमी के कारण
	1998-99/ 1998-99	पोर्टेबल एक्स-रे	1	अनुपलब्ध	मरम्मत के अभाव में
	अनुपलब्ध/ 1998-99	अल्ट्रासाउंड	1	अनुपलब्ध	वही

		मशीन			
	1994-95/ 1997-98	डेफिलिटेटर	1	अनुपलब्ध	सर्विसिंग के अभाव में
	1985-86/ 1997-98	ई सी जी (मॉडल 308)	1	अनुपलब्ध	वही
	1985-86/ 1994-95	ई सी जी (मॉडल 108 टी)	1		
	1994-95/ 98-99	केंद्रीय अनुश्रवण तंत्र उपांगों के साथ	1	वही	वही
	22.10.98/ 24.11.98	उपकरणों के साथ कमप्यूटर	1	5.72	तार संयोजन दोष के कारण
	30.12.98/ अक्टूबर 2001	एयर कंडीशनर, वोल्टाज स्टेब्लाइजर	1	0.27 0.10	वही
	20.6.1998/ अक्टूबर 1999	ई सी जी मशीन	1	अनुपलब्ध	वही
7. सी एस सह सी एम ओ, जमशेदपुर	2001-02	चीर-फाइ औजार		18.43	
कुल			52	64.69	